अपील सूचना अधिकार संख्या 11/2018 अनवानी श्री सरदूल सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 49 जी बी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09—05—2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सरदूल सिंह उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सतर्कता श्रीगंगानगर की ओर से उनका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2017 जो कि दिनांक 20.11.2017 को जिला कलक्टर के लोक सूचना अधिकारी को को प्रस्तुत किया था, जिसमें उसके द्वारा चाही गई सूचनाएं निश्चित अवधि में उपलब्ध न करवाने के कारण उसके द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है और प्रार्थना की गई है कि उसकी अपील स्वीकार कर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी सरदूल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनमय 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2017 से निम्न सूचना चाही थीः—

> **यह कि प्रार्थी द्वारा मृतक प्रकरण में अपने पिता स्व. श्री धर्म सिंह पुत्र आत्मा सिंह के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 110/65 एसडीएम, रायसिंहनगर एवं आउट साईड नं 719/03 एसडीएम/सूरतगढ की एवज में अपने नाम से नया अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन किया हुआ है जो कि आपके कार्यालय के द्वारा दिनांक 31.03.2010 के प्रावधानों के तहत एवं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन खारिज किया गया है। प्रार्थी को उक्त परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के प्रावधान एवं पुलिस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की जावे।**

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7 (1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं और लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर सतर्कता को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर देय है तो नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा न दिये जाने पर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर